डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 118 / 2017
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती सीमा भठेजा पत्नि श्री श्यामसुन्दर वधवा जाति अरोडा निवासी 93 डी ब्लॉक, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....वादिया

बनाम

1. देवी दयाल पुत्र स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राझांराम पुत्र स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. भगवान दास पुत्र स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)।
   - 3.1 छिकन्द्र पुत्र श्री भगवान दास जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 3.2 महेन्द्र पुत्र श्री भगवान दास जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. लालचंद पुत्र स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. शम्मी बाई पत्नी स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर, ...प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

उपस्थिति– श्री रिछपाल सिंह (वादीगण)
श्री राजकुमार नागपाल (प्रतिवादी–1,2,3.1 व 3.2)
पैरोकार राज (प्रतिवादी– 6)

वादपत्र संख्या 118 / 2017
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादिया सीमा वधवा के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 3 के वारिसान के अधिवक्ता की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादिया एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3.1, 3.2 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	श्रीमती सीमा वधवा पत्नी श्याम सुन्दर वधवा जाति अरोड़ा	चक 1 जी बडी मुरबा नं. 8 किला नं. 6, 7, 8, 9 की 1.012 हैक. नहरी
2.	देवी दयाल उर्फ देवीलाल पुत्र तख्तुराम (0.468 हैक.), रांझाराम पुत्र तख्तुराम जाति ओड (0.468 हैक.), सिकन्दर पुत्र भगवान दास, महेन्द्र पुत्र भगवानदास जाति राजपूत बहिव (0.468 हैक.)	1 जी बडी मुरबा नम्बर 8 किला नम्बर 10(0.240), 11–12–13–14(1.012), 15/1(0.152) कुल 1.404 हैक. नहरी
3.	देवी दयाल उर्फ देवीलाल पुत्र तख्तुराम(1.131 हैक.), रांझाराम पुत्र तख्तुराम जाति ओड (1.258 हैक.), सिकन्दर पुत्र भगवान दास(0.694 हैक.), महेन्द्र पुत्र भगवानदास जाति राजपूत (0.694 हैक.), गुलशन कुमार पुत्र देवीदयाल उर्फ देवीलाल जाति ओड़(0. 127 हैक.),	चक 1 जी बडी मुरबा नं. 8 किला नं. 15/3(0.012), मुरबा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 (0.228), 2(0.228), 3(0.228), 4/1(0.086), 5/1(0.060), 8 ता 13 व 18 ता 23 (3.036), 24/2(0.013) कुल 3.904 हैक. नहरी

सहायक कलक्टर एव कार्यापालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 02 सितम्बर, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	कुल	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 118 / 2017
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती सीमा भठेजा पत्नि श्री श्यामसुन्दर वधवा जाति अरोडा निवासी 93 डी ब्लॉक, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। .....वादीगण

बनाम

1. देवी दयाल पुत्र स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राझांराम पुत्र स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. भगवान दास पुत्र स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)।
   - 3.1 छिकन्द्र पुत्र श्री भगवान दास जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 3.2 महेन्द्र पुत्र श्री भगवान दास जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. लालचंद पुत्र स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. शम्मी बाई पत्नी स्व0 श्री तख्तू राम जाति राजपूत निवासी खाट गांव लबाणा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर, ...प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) ... सत्यमेव जयते

उपस्थिति– श्री रिछपाल सिंह (वादीगण)
श्री राजकुमार नागपाल (प्रतिवादी–1,2,3.1 व 3.2)
पैरोकार राज (प्रतिवादी– 6)

दिनांक 16 अगस्त, 2021

– आदेश –

वादपत्र के अनुसार चक 1 जी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 72 / 57 मुरब्बा नम्बर 8 व 16 में 1.012 हे0 नहरी कृषि भूमि खरीदशुदा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। इसकी जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 की प्रमाणित प्रति शामिल की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 आपस में एक ही वंश की संतान है। जो संयुक्त खाता में वादिया के साथ संयुक्त खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 6 लैण्ड हॉल्डर है जो आवश्यक पक्षकार है। वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 17.09.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से खरीद किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने शपथ पत्र लिख कर दिया की हमारे द्वारा वादिया को मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 6,7,8,9 प्रत्येक में 0.253 हे0 कुल 1.012 हे0 का बेचान किया गया है और उक्त किलो का कब्जा वादिया को उसी रोज सौपा गया। उसी रोज से खरीदशुदा भूमि पर वादिया कब्जा शांतिपूर्वक चला रहा है। वादिया को संयुक्त खाता होने की वजह से ऋण व पानी की वारी आदि प्राप्त करने में कई तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड रहा है। वादिया द्वारा दिनांक 27.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को वादिया की कब्जा काश्तवाली भूमि मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 6,7,8,9 प्रत्येक में 0.253 हे0 कुल 1.012 हे0 को वादिया के नाम से किला वाईज दर्ज करवाने का निवेदन किया तो किलावाईज बंटवारा करने से साफ इंकार हो गये।

प्रतिवादी संख्या 1 , 2, 3.1 व 3.2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार नागपाल द्वारा दिनांक 21.03.2018 को वकालतनामा प्रस्तुत व प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के अनुपस्थित रहने के परिणामतः आदेश दिनांक 21 मार्च 2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 1 , 2, 3.1 व 3.2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब वादपत्र एवं काउण्टरक्लेम दिनांक 25 जुलाई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र की मद संख्या 1 ता 6 स्वीकार है तथा मद संख्या 7 ता 9 के तथ्य कानूनी है व जवाब की आवश्यता नही है। काउंटर क्लेम में प्रस्तुत तथ्यो के अनुसार देवीदयाल, रांझाराम, सिकन्दर पुत्र भगवानदास, महेन्द्र पुत्र भगवानदास के पास चक 1 जी बडी जमावंदी सम्वत् 2067–2070 खाता संख्या 72/57 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 10 में 0.24 हे0 किला नम्बर 11 ता 14 सालम और 15 में 0.152 हे0 कृषि भूमि कब्जा काश्त में है। जिस पर प्रतिवादीगण देवीदयाल, रांझाराम, सिकन्दर पुत्र भगवानदास, महेन्द्र पुत्र भगवानदास काबिज चले आ रहे है और कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में है।

दिनांक 01.07.2018 को वादिया को प्रार्थीगण द्वारा चक 1 जी बडी के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 10 में 0.24 हे0 किला नम्बर 11 ता 14 सालम और 15 में 0.152 हे0 वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने को कहा तो वादिया ने भूमि किला वाईज करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। इस कारण काउण्टर क्लेम पेश किया जा रहा है।

वादीगण द्वारा दिनांक 13.08.2018 को जवाब काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नही करने कथन करते हुये हस्ताक्षर अंकित किये।

प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 04.09.2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वाद पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1,4,6 सिद्ध करने का भार वादी पर है और बिन्दु संख्या 2,3,5,7,8,9, कानुनी है।

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यक निर्धारित किये गये –

1. क्या वादिया चक 1 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 72/57 मुरब्बा नम्बर 8 एवं 16 की 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारिणी है? ...वादिया
2. क्या प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3.1 एवं 3.2 चक 1 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 72/57 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 10(0.240), किला नम्बर 11 से 14 सालम, किला नम्बर 15(0.152) हैक्टर कृषि भूमि पर काबिज हैं? तथा विभाजन में अपने कब्जा की कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है? ...प्रतिवादी–1, 2, 3.1 एवं 3.2

3. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादिया द्वारा उपस्थित आकर दिनाक 5.11.18 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे वादिया जरिये बैयनामा 17.09.2015 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से खरीद की गई कृषि भूमि चक 1 जी बडी के खाता संख्या 72/57 मु0 न0 8 के किला नम्बर 6,7,8,9 सालम कुल 1.012 हे0 जिस पर वादिया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। **उक्त शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 04.01.2019 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी** । जिरह मे वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 के वारिसान द्वारा अपने कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तुत काउण्टर क्लेम पर सहमती प्रदान की गयी और वादी द्वारा अन्य साक्ष्य नही प्रस्तुत किये गये और **इसके बाद साक्ष्य प्रतिवादी में देवीदयाल द्वारा दिनांक 04.07.2019 को साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया** जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के वारिसान के कब्जा काश्त में चक 1 जी बडी के खाता संख्या 72/57 मु0 न0 8 के किला नम्बर 10 में 0.24 हे0 व किला नम्बर 11,12,13,14 सालम व 15 में 0.152 हे0 कृषि भूमि का काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है और वादिया के साथ–साथ प्रतिवादी सं0 1,2 व 3 के वारिसान के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार कर किला वाईज कृषि भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया जिस पर **वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.07.2019 को जिरह की गई** जिसमें वादी द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि खाता संख्या 72/57 मु0 न0 8 के किला नम्बर 6,7,8,9 सालम कुल 1.012 हे0 कृषि भूमि कब्जा अनुसार किला वाईज दर्ज की जावें इसमें सहमती दी गई इस प्रकार वादी व प्रतिवादी अपनी–अपनी कब्जा काश्त अनुसार कृषि भूमि किला वाईज दर्ज करवाना चाहते है जिसमे दोनो पक्षकार अपनी– अपनी सहमति दे रहे है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

जिसमें विवाद्यक बिन्दुओ को पुर्णरूप से ना तो वादी द्वारा स्पष्ट किया गया और ना ही प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट किया गया। वाद के निस्तारण हेतु दिनांक 15.07.2019 को प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार द्वारा जरिए क्रमांक 276/03.02.2020 के विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिकी किये जाने बाबत अनापत्ति जाहिर की गई।

।। आदेश ।।

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3.1, 3.2 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	श्रीमती सीमा वधवा पत्नी श्याम सुन्दर वधवा जाति अरोड़ा	चक 1 जी बडी मुरबा नं. 8 किला नं. 6, 7, 8, 9 की 1.012 हैक. नहरी
2.	देवी दयाल उर्फ देवीलाल पुत्र तख्तुराम (0.468 हैक.), रांझाराम पुत्र तख्तुराम जाति ओड (0.468 हैक.), सिकन्दर पुत्र भगवान दास, महेन्द्र पुत्र भगवानदास जाति राजपूत बहिब (0.468 हैक.)	1 जी बडी मुरबा नम्बर 8 किला नम्बर 10(0.240), 11–12–13–14(1.012), 15/1(0.152) कुल 1.404 हैक. नहरी
3.	देवी दयाल उर्फ देवीलाल पुत्र तख्तुराम(1.131 हैक.), रांझाराम पुत्र तख्तुराम जाति ओड (1.258 हैक.), सिकन्दर पुत्र भगवान दास(0.694 हैक.), महेन्द्र पुत्र भगवानदास जाति राजपूत (0.694 हैक.), गुलशन कुमार पुत्र देवीदयाल उर्फ देवीलाल जाति ओड़(0.127 हैक.),	चक 1 जी बडी मुरबा नं. 8 किला नं. 15/3(0.012), मुरबा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 (0.228), 2(0.228), 3(0.228), 4/1(0.086), 5/1(0.060), 8 ता 13 व 18 ता 23 (3.036), 24/2(0.013) कुल 3.904 हैक. नहरी

वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना व्यय करेगें। स्टाम्प डयूटी पेश होने पर डिकी पर्चा जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.08.2021 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यपालक मजिस्ट्रेट/दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर